संख्या-32/2022/32/23-9-2022-01एस0पी0एम0/2020

प्रेषक,

प्रभुनाथ
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष्,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 2022

विषय - वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत स्वीकृत जनपद गाजियाबाद के 04 कार्यों का निरस्तीकरण ।

महादेय,

कृपया मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या-8520बी.जी./7बी0-श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना/21-22, दिनांक 12.01.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-100/2021/आ0-11/23-9-2021-01एस0पी0एम0/2020, दिनांक 25.03.2021 द्वारा जनपद गाजियाबाद के 04 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त 04 कार्यों में से 02 कार्यों की स्वीकृति उ0प्र0 जल निगम गाजियाबाद द्वारा प्रदान की जा चुकी है। मार्गों पर उ0प्र0 जल निगम गाजियाबाद द्वारा 1500 मिमी0 व्यास की बिछाने का कार्य प्रगति पर है। जल निगम द्वारा ही कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, शेष 02 कार्यों की स्वीकृति ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में त्वरित विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त हो गयी है। अतः उक्त मार्गों की स्वीकृति निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित धनराशि कोषागार, गाजियाबाद में ट्रेजरी चालान सं0-17880042 एवं 17880043, दिनांक 29.09.2021 द्वारा जमा करा दी गयी है।

2- उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत शासनादेश सं0-100/2021/आ0-11/23-9-2021-01एस0पी0एम0/2020, दिनांक 25.03.2021

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा जनपद चित्रकूट व गाजियाबाद के 20 नये मार्गों, जिनकी कुल लम्बाई 38.87 कि0मी0 के नवनिर्माण हेतु रू0 3134.55 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष रू0 107.00 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

3- अत: मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 12.01.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-100/2021/आ0-11/23-9-2021-01एस0पी0एम0/ 2020, दिनांक 25.03.2021 द्वारा स्वीकृत जनपद गाजियाबाद के निम्नलिखित 04 कार्यों को तालिका के स्तम्भ-7 में उल्लिखित कारण के दृष्टिगत एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है :-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश सं0	स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि	स्वीकृति निरस्त किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	गाजियाबाद	कल्लूगढ़ी से इन्द्रगढ़ी वायास मयूर विहार मार्ग निर्माण का कार्य	100/2021 / आ0-11/23-9-2021-01एस0पी0एम0/2020, दि0 25.03.2021	203.38	7.00	कार्य की स्वीकृति उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त मार्ग पर उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा 1500 मिमी0 व्यास Open Trench Water Pipe Line बिछाने का कार्य प्रगति पर है। जल निगम द्वारा ही कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
2	गाजियाबाद	कल्लूगढ़ी से जेल रोड मार्ग निर्माण का कार्य	100/2021 / आ0-11/23-9-2021-01एस0पी0एम0/2020, दि0 25.03.2021	194.50	5.00	कार्य की स्वीकृति उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त मार्ग पर उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा 1500 मिमी0 व्यास की Open Trench Water Pipe Line बिछाने का कार्य प्रगति पर है। जल निगम द्वारा ही कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
3	गाजियाबाद	इकला-इनायतपुर मार्ग से गूर्जरगढ़ी मार्ग निर्माण का कार्य	100/2021/ आ0-11/23-9-2021-01एस0पी0एम0/2020, दि0 25.03.2021	56.23	4.00	कार्य की स्वीकृति ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा त्वरित विकास योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी है एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा मार्ग पर कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।
4	गाजियाबाद	दूधिया पीपल से भूड़गढ़ी मार्ग निर्माण का कार्य	100/2021/ आ0-11/23-9-2021-01एस0पी0एम0/2020, दि0 25.03.2021	205.61	7.00	कार्य की स्वीकृति ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा त्वरित विकास योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी है एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा मार्ग पर कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।
		योग-		659.72	23.00	

क्रमश:....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-100/2021/आ0-11/23-9-2021-01एस0पी0एम0/2020, दिनांक 25.03.2021, इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश के शेष नियम व शर्ते यथावत रहेगें।

भवदीय

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

<u>संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

3- संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी

4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 / वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।

6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

7- लोक निर्माण अनुभाग-10 ।

8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।